International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता

(डा0 निशा वर्मा)
एसोसिएट प्रोफेसर
एस0एन0सेन0 पी0जी0 कालेज
कानपुर

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक सदस्य राष्ट्रों को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन भुगतान, अमसानताओं, विकास तथा अन्य उत्पादक कार्यों के लिये ऋण प्रदान करती थी, परन्तु ये सभी ऋण सम्बन्धित देशों की सरकारों को ही प्रदान किये जाते थे। निजी कार्यों के लिये ऋण प्रदान नहीं किए जाते थे। इसके अतिरिक्त ये संस्थायें केवल ऋण प्रदान करने का कार्य करती थी, तथा पूंजी के अंश नहीं खरीदती थीं। अतः एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की कमी महसूस की जा रही थी जो विकासशील देशों के निजी उद्यमों को ऋण प्रदान कर सके। अतः सदस्य देशों को निजी क्षेत्र के उद्योगों को अधिक से अधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराने तथा उसके हिस्सों में अंशधरी के आधार पर पूंजी विनियोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अमरीकी सरकार के सलाहकार बोर्ड ने ऐसी संस्था के निर्माण का सुझाव दिया जो निजी क्षेत्र की आर्थिक सहायता कर सके। दिसम्बर 1954 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने विश्व बैंक से प्रार्थना की कि वह इस प्रकार की संस्था के लिये चार्टर (प्रारूप) तैयार करें। 11 अप्रैल 1955 को विश्व बैंक ने इस प्रकार का प्रारूप तैयार किया, और इसको सदस्य देशों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रारूप में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना का विवरण दिया गया था। जुलाई 1956 में इसकी विधिवत् स्थापना हुई। इसको विश्व बैंक से सम्बद्ध रखा गया। इस मसौदे की स्वीकृति 31 देशों द्वारा दी गयी थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 185 थी।

इस प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना निजी क्षेत्र के उत्पादक उपक्रमों में पूंजी विनियोग को बढ़ाकर देश के विकास को गति प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ की गयी थी। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम निजी उद्योगों की अंशपूंजी में भी विनियोग करता है। यह अर्द्ध विकसित देशों के पूंजी बाजार को विकसित करने का काम भी करता है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के चार्टर की धारा 1 में इसके निम्न उद्देश्य बताये गये हैं–

1. **निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करना**–इसका उद्देश्य सदस्य देशों में निजी देशों के विकास, सुधार और विस्तार को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए यह सरकार की गारंटी के बिना निजी उद्यमियों को ऋण प्रदान करती है, तथा उनको अन्य स्रोतों से पूंजी उपलब्ध कराने में भी सहायता करती है।

2. **पूंजी तथा प्रबन्ध में समन्वय स्थापित करना**– अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का दूसरा उद्देश्य निजी पूंजी विनियोग के मार्ग की बाधाओं को दूर करना व घरेलू तथा विदेशी पूंजी प्रबन्ध में समन्वय स्थापित करना है। अर्थात् यदि निजी क्षेत्र में पूंजी की कमी है तो यह निगम पूंजी की व्यवस्था करता है, परन्तु यदि प्रबन्धकों की कमी है तो यह कुशल प्रबन्धकों की व्यवस्था करता है।

3. **विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन**– अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का तीसरा प्रमुख उद्देश्य पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करना है। इसके लिये यह पूंजी विनियोग के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करके औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देता है।

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का उद्देश्य विनियोग के अवसरों में वृद्धि, निजी क्षेत्र को गारंटी देना, तथा निजी पूंजी के साधनो तथा अनुभवी प्रबन्ध कौशल के लिए एक समावेशन गृह के रूप में कार्य करना है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सदस्यता –

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम यद्यपि विश्व बैंक के दिशा निर्देश में कार्य करती है, परन्तु यह एक स्वतंत्र संस्था है। इसका सदस्य होने के लिए यह आवश्यक है कि वह देश विश्व बैंक का भी सदस्य हो। यदि कोई देश विश्व बैंक की सदस्यता छोड़ता है तो उसको इसकी भी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। सदस्यता त्यागने के लिये लिखित आवेदन देना पड़ता है। स्थापना के समय इसकी सदस्य संख्या 31 थी। जो वर्ष 1998 में बढ़कर 185 हो गयी।

प्रबंध व्यवस्था –

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की प्रबन्ध व्यवस्था भी विश्व बैंक के समान है। विश्व बैंक की भांति निगम का भी एक प्रशासक मण्डल होता है। विश्व बैंक के प्रशासक मण्डल में नियुक्त गवर्नर हो इसके सदस्य होते है। विश्व बैंक की भांति

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

इसमें भी कार्यकारी प्रबन्ध निदेशक मण्डल होता है तथा विश्व बैंक के अध्यक्ष की सहमति से एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसमें मताधिकार की प्रक्रिया भी विश्व बैंक की तरह ही है। अर्थात् प्रत्येक देश को 250 मत तथा प्रति 1000 डॉलर के अंशदान पर एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार प्राप्त होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की पूंजी–

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना के समय इसकी अधिकृत पूंजी 100 मिलियन डॉलर थी, जो 100 डॉलर मूल्य के 1 लाख अंशों में विभाजित थी। सदस्य देशों को मुद्रा स्वर्ण या डॉलर में देनी थी। 1963 में निगम की अधिकृत पूंजी में 10 मिलियन डॉलर की वृद्धि कर दी गई। 1977 को निगम की अधिकृत पूंजी 650 मिलियन डालर हो गई। जून 1987 में यह पूंजी बढ़कर 1006 मिलियन डॉलर 05 मई 1992 को निगम की पूंजी में 1000 मिलियन डालर की सामान्य पूंजी की वृद्धि हो गयी। इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की अधिकृत पूंजी बढ़कर 2300 मिलियन डॉलर हो गयी।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम एवं विश्व बैंक की तुलना–

इन दोनों संस्थाओं में निम्न अन्तर है–

1. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम यद्यपि एक स्वतंत्र शाखा है तथापि इसका विश्व बैंक से अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है।
2. वित्त निगम के प्रशासन व प्रबन्ध में विश्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
3. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम व विश्व बैक के कोष अलग–अलग है।
4. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक से ऋण का लेन देन नहीं कर सकता।
5. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम यद्यपि अन्य सदस्य देशों में अपने कार्यालय खोल सकता है, परन्तु इसका मुख्य कार्यालय विश्व बैंक के साथ होना आवश्यक है।
6. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम व विश्व बैंक की मताधिकार प्रणाली एक सी है दोनों में बहुमत के आधार पर निर्णय होते है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

7. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्बन्ध केवल विश्व बैंक के माध्यम से ही रख सकता है।

8. विश्व बैंक तुलनात्मक रूप से बड़ी संस्था है व अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम इसकी एक सहायक संस्था है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की कार्य प्रणाली–

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना निजी पूंजी की गारंटी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गयी थी। अतः वह इन क्षेत्रों के विनियोग प्रस्तावों पर विचार करता है। संक्षेप में इसकी कार्यप्रणाली निम्नलिखित है–

1. **ऋण देना**– अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना निजी उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिये की गयी थी। इस दिशा में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

2. **ऋण की अवधि** – अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के ऋणों की अवधि सामान्यता 5 से 15 वर्ष के मध्य होती है।

3. **अंश पूंजी का क्रय करना**– वर्ष 1961 में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के नियमों में संशोधन करके इसकी कार्य प्रणाली का विस्तार किया गया। अब इसको निजी उद्योगों में अंश पूंजी क्रय करने का अधिकार भी दे दिया गया है। यह कम्पनियों के अंशपूंजी खरीदकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करता है।

4. **अंश पूंजी का अभिगोपन**– अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम कम्पनी के अंश पूंजी के अभिगोपन का भी कार्य करती है।

5. **प्राथमिकता** – अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ऋण प्रदान करते समय पिछड़े देशों को प्राथमिकता देती है।

6. **निर्माणकारी उद्योगों की सहायता**– अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम प्रमुख रूप से निर्माणकारी उद्योगों को सहायता देता है। वह लोक उपयोगी सेवाओं को ऋण प्रदान नहीं करता। यह प्रमुख रूप से निम्न वर्ग के उपक्रमों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है–

    1. लोहा एवं इस्पात उद्योग
    2. सीमेंट उद्योग
    3. पेपर उद्योग

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

4. वस्त्र उद्योग
5. खनन उद्योग
6. विकास वित्त कम्पनियां
7. रसायन उद्योग
8. मोटर उद्योग
9. खाद्य एवं खाद्य प्रोसेसिंग
10. उर्वरक

7. **तकनीकी सहायता** – अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम सदस्य देशो ंकी सरकारों, उनकी एजेन्सियों तथा निजी, फार्मो को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराता है।

8. **उद्यम की जांच एवं अंकेक्षण** – यह निजी उद्यमियों की बैलेंस सीट की जांच का कार्य भी करता है और उनके लेखों के अंकेक्षण पर बल देता है।

9. **ब्याज की दर** – अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम अलग–अलग उपक्रमों के लिये अलग–अलग ब्याज दर निर्धारित करती है। ब्याज की दर के निर्धारित करती है। ब्याज की दर के निर्धारण में वह जोखिम पर ध्यान देती है। इसकी ब्याज की दर प्रायः 6 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक है।

10. **निजी निवेशकर्ताओं के साथ साझेदारी**– यह निजी निवेशकर्ताओं से मिलकर निजी व्यवसायों में पूंजी का विनियोग करता है। पूंजी लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि निगम द्वारा प्रदान की गई पूंजी निजी व्यवसाय के लिये आवश्यक पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

निगम के निवेश सम्बन्धी मापदण्ड–

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने निवेश के लिये निम्न मापदण्ड निर्धारित किये हैं–

1. ऋण लेने वाला उद्योग भविष्य में लाभ अर्जित करने वाला होना चाहिए।
2. ऋण लेने वाला व्यवसाय उत्पादक हो तथा देश के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हो।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

3. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसी एक व्यवसाय में 20 मिलियन डॉलर से अधिक पूंजी का विनियोग नहीं कर सकता।

4. निगम ऋण लेने वाले व्यवसाय की कुल पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं खरीद सकता।

5. निगम किसी व्यवसाय में निवेश तभी कर सकता है जब कुल पूंजी का 50 प्रतिशत से अधिक भाग उस व्यवसाय द्वारा लगाया जाये।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के कार्यों की प्रगति–

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने अब तक अनेकों उपलब्धियां अर्जित की है। निगम के कार्यों के कार्यों का प्रगति विवरण निम्नलिखित है–

1- **विनियोग में वृद्धि** – अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने विविध उद्यमों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विनियोग सुविधायें प्रदान की है। इनका क्षेत्रवार विवरण निम्नलिखित है–

क्षेत्र	राशि (मिलियन डॉलर में)
मध्य पूर्व एवं उत्तर अफ्रीका	173
उप सहारा क्षेत्र	284
एशिया	456
यूरोप	253
लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्र	607
कुल योग	**1773**

2- **विभिन्न उद्देश्यों के लिये ऋण**–अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने उत्पादन व निर्माण, कृषि क्षेत्र तथा खनन व शक्ति विकास से सम्बन्धित ऋण प्रदान किये हैं।

3- **वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से सुरक्षा**–अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने मध्यम आकार की कम्पनियों को वित्तीय मध्यथों के माध्यम से भी सहायता दिलवायी है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

4- **तकनीकी सहायता**– निगम में पूंजी औद्योगिक इकाई को परामर्श तथा तकनीकी सहायता भी देती है।

5- **अंशों में पूंजी लगाना**– निगम ने निजी क्षेत्र की कम्पनियों के अंशों में भी पूंजी विनियोजित की है तथा अंश पूंजी के अभिगोपन का भी कार्य किया है।

6- **क्षेत्रीय परियोजनाओं को सहायता**– अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने कुछ उन क्षेत्रीय परियोजनाओं को भी सहायता दी है जो लघु पैमाने के उद्यमियों की परियोजना तैयार करने तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के क्षेत्र मे कार्य कर रही है।

7- **पूंजी बाजार का विकास**–निगम ने स्टॉक एक्सचेंज तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के विकास पर भी बल दिया है जिससे पिछड़े राष्ट्रों में पूंजी बाजार का विकास हो सके।

8- **विदेशी विनियोग परामर्श सुविधा**– वित्त निगम ने निजी क्षेत्र को विदेशी विनियोग के क्षेत्र में परामर्श सुविधा भी प्रदान की है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की आलोचनाएं–

इस संस्था ने यद्यपि निजी उद्यमियों की महत्वपूर्ण सहायता की है तथापि इसकी कुछ आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं–

1. **ब्याज की ऊंची दरें**– अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की ब्याज दर यद्यपि मुद्रा बाजार से कम है परन्तु फिर भी विकासशील देशों के उद्योगों के लिये यह अधिक है।

2. **पक्षपात पूर्ण रवैया**– इसकी मतदान प्रणाली भी विश्व बैंक की भांति दोष पूर्ण है। इसमें भी विकसित देशों का दबदबा है। ऋणों में भेदभाव किया जाता है।

3. **अपर्याप्त सहायता राशि**– यह संस्था निजी उद्यमियों को एक सीमा तक ही सहायता प्रदान कर सकती है। अपर्याप्त सहायता राशि से निजी उद्यमियों को अधिक लाभ नही मिल पाया है।

4. **ऋण की कठोर शर्तें**–अर्द्ध विकसित देशों के समक्ष निगम ने अनेक कठोर शर्तें रखी है। वह ऋणी संस्था के ऊपर अपना पूरा प्रभाव रखती है। तथा ऋणी उद्यमों को मूल धन व ब्याज डॉलर में ही चुकाने पड़ते है।

5. **कार्यों की धीमी गति**– अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की अभी तक की प्रगति से स्पष्ट है कि इसकी प्रगति काफी धीमी है। पिछड़े देशों को अत्यन्त धीमी गति से ऋण दिये है। व अंश पूंजी में भाग लिया है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

6. चुने हुये उद्योगों को अधिक ऋण सहायता– अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने सीमेंट, स्टील व विकास कम्पनियों को ही अधिक ऋण प्रदान किये है, शेष उद्योगों को कम।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने निजी क्षेत्र के विकास का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्या किया है। निगम की प्रगति विवरण से भी स्पष्ट है कि इसने पिछड़े राज्यों के विकास को भी प्राथमिकता दी है। निगम ने तकनीकी सहायता भी प्रदान की है। निगम के कार्यो से उत्पादन, आय, रोजगार आदि पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। यह बिना जमानत के तथा बिना राजनैतिक दबाव के ऋण प्रदान करता है। इसकी ब्याज की दर उचित है।

अतः हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के भूत पूर्व अध्यक्ष श्री गार्नर के अनुसार ‘‘यह अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का भी विचार कभी अच्छा था, तो आज यह और भी अधिक अच्छा है।’’

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम और भारत–भारत अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का संस्थापक सदस्य है। प्रारम्भ में अधिक कोटे के कारण प्रशासनिक संचालन मण्डल में भी भारत का एक सदय बिना चुनाव के पहुंच जाता है। अभी भी भारत का कोटा बहुत अधिक है। अतः प्रशासनिक संचालक मण्डल में भारत का चुनाव बहुत आसान है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत को प्रथम ऋण रिपब्लिक फोर्स कम्पनी को दिया। उसके बाद अनेकों निजी उपक्रमों को ऋण व पूंजी विनियोग सहायता मिलती रहती है। 30 जून 1969 तक निगम ने भारत की 9 कम्पनियों को 23.3 मिलियन डॉलर के ऋण प्रदान किये थे। 30 जून 1978 तक 13 उद्यमों को 63.6 मिलियन डालर के ऋण दिये। 1998 मे ंवित्तीय वर्ष के अन्त में अमेरिकी प्रतिबन्धों के कारण स्वीकृतियाँ स्थगित कर दी गयी। इस समय तक भारत में विभिन्न परियोजनाओं के लिये 54.09 मिलियन डॉलर वित्त की व्यवस्था की थी। जून 1998 के अन्त तक भारत के संचयी निवेशो की राशि 801.7 मिलियन डॉलर थी। जिसमें 569.1 मिलियन डॉलर के ऋण तथा 232.6 मिलियन डॉलर की पूंजी में साझेदारी थी। भारत में उदारीकरण की नीति के कारण वित्त निगम ने भविष्य में भातर को और अधिक सहायता देने का वचन दिया है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

वित्त निगम ने भारत के निम्न कार्यों पर ध्यान दिया है–

1. भारत में निजी पूंजी का सहयोग व साझेदारी।
2. भारत के ओद्यौगिक विकास को प्रोत्साहित करना।
3. भारत के वित्तीय क्षेत्र की कम्पनियों को प्रोत्साहित करना।
4. भारतीय कम्पनियों को विदेशी बाजार में ले जाना तथा उनको पूंजी बाजार से पूंजी प्राप्त करने में मदद करना।
5. बड़े व मध्यम आकार की ओद्यौगिक इकाइयों का अंश पूंजी में वृद्धि करना।

सन्दर्भ–

1. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (2012) आई0एफ0सी0 विकास लक्ष्य (पी0डी0एफ0) (रिपोर्ट) विश्व बैंक समूह 9 जून 2012
2. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (2012) आईएफसी संगठनात्मक संरचना (पीडीएफ) (रिपोर्ट) विश्व बैंक समूह
3. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ''प्रतिभूतिकरण'' विश्व बैंक समूह 11 जून 2012
4. आई0एफ0सी0 होम। आई0एफ0सी0, ओ0आर0जी0
5. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ''जोखिम प्रबन्धन''
6. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एम0एल0 झिंगन, वृंदा प्रकाशन।
7. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र डा0 वी0सी0 सिन्हा, एस0बी0पी0डी0 प्रकाशन, आगरा।